न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमंद (राज0)

पीठासीन न्यायाधीश : अल्का शर्मा, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण सं. – 141/2026

(CIS No. 176/2026)

(CNR No. RJRS010004702026)

(प्र.सू.रि.सं. – 39/2026, पुलिस थाना भीम)

1. युसुफ मोहम्मद कुरैशी पुत्र इशाक मोहम्मद, निवासी पड़ाव भीम, हाल निवासी धोलीघाटी भीम, पुलिस थाना भीम, जिला राजसमंद (राज.)।
2. मोहम्मद सोहेल पुत्र सतार मोहम्मद कुरैशी, निवासी धोलीघाटी भीम, पुलिस थाना भीम, जिला राजसमंद (राज.)।

..... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

..... अभियोगी

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (अपराध अन्तर्गत धारा 190, 191(2), 191(3), 103(1) भारतीय न्याय संहिता व 4/25 आयुध अधिनियम)

उपस्थित :–

1. श्री डूंगर सिंह बंजारा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ।
2. श्री रामलाल जाट, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

: आदेश :

दिनाँक : 23.03.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह जमानत का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत पुलिस थाना भीम की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 39/2026 के प्रकरण में सुनवाई हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति लोक अभियोजक को दिलाई जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब कर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से बहस की गई कि उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उनका अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व मृतक एक ही समाज के होकर मित्र है तथा घटना की दिनांक को दोनों पक्षकारान् के मध्य क्रिकेट खेलने के दौरान मामूली रनों

को लेकर विवाद हो गया, जिस पर मृतक लियाकत अली अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर घटनास्थल पर आया और प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर नंगी तलवार से दो बार वार किया, जिससे उनके कंधे एवं पेट पर गंभीर चोटे आई तथा बीचबचाव में मृतक स्वयं के हाथ से चोटिल हो गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा परिवादीगण व उसके परिवार वालों पर जान से मारने का मुकदमा पुलिस थाना भीम में प्रथम सूचना रिपोर्ट 51/2026 दर्ज करवा रखा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दिनांक 10.02.2026 को गिरफ्तार किया जा चुका है, तब से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निरंतर अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से अनुसंधान व बरामदगी करना शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी बहस की गई है कि इस प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लियाकत अली को जान से मारने के आशय से उस पर तलवार से वारकर मृतक लियाकत अली की हत्या कारित की, जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जावे।

3. हमने उभय पक्षकारान् की बहस सुनी, केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी सिकंदर खान ने दिनांक 07.02.2026 को पुलिस थाना भीम में एक लिखित रिपोर्ट सोहेल कुरैशी, मुख्तार कुरैशी, युनुस उर्फ सोनू कुरैशी, इमरान कुरैशी, युसूफ कुरैशी, शाहरूख कुरैशी, असरार कुरैशीव अन्य दो–तीन व्यक्ति के विरुद्ध इस आशय की दर्ज कराई कि दिनांक 07.02.2026 को समय सांय लगभग 06.00 बजे मुझ प्रार्थी का छोटा भाई लियाकत अली, धोलीघाटी, कब्रिस्तान रोड़ अपने घर पर ही था, तब बाहर उसका छोटा भाई मोहसीन जोर–जोर से चिलाया तो वहां सभी विपक्षीगण उसके छोटे भाई मोहसीन के साथ मारपीट कर रहे

थे, तो चिल्लाने की आवाज सुनकर लियाकत अली बीच–बचाव करने गया तो लियाकत अली के साथ भी सभी विपक्षी मारपीट करने लगे, विपक्षी सोहेल कुरैशी जिसके हाथ में तलवार थी, ने उसके भाई लियाकत अली को जान से खत्म करने के लिए उस पर तलवार से वार किया, जिससे उसके भाई लियाकत अली के बहुत खून बहने लगा, तब उसके भाई लियाकत अली को हॉस्पिटल भीम लाए, जिसके पश्चात् ब्यावर रैफर किया गया। ब्यावर हॉस्पिटल में उसके भाई लियाकत अली ने दम तोड़ दिया ..... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भीम द्वारा प्रकरण संख्या 39/2026, अपराध धारा 190, 191(2), 191(3), 103(1) भारतीय न्याय संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है।

इस प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के भाई मोहसिन के साथ मारपीट के दौरान उसके भाई लियाकत अली द्वारा बीच–बचाव करने पर उसके शरीर पर तलवार से वार कर उसकी हत्या कारित करने का आरोप होना बताया गया है। मृतक लियाकत अली की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर धारदार हथियार से कई काफी गहरी चोटें कारित हुई है, साथ ही मृतक के भाई मोहसीन के शरीर पर भी चोटे कारित होना चोट प्रतिवेदन में दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वयं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के अनुसार परिवादी पक्ष पर क्रॉस मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2026, पुलिस थाना भीम में दर्ज होना बताया गया है तथा हस्तगत प्रकरण की केस डायरी में प्रार्थी/अभियुक्त युसुफ मोहम्मद कुरैशी का भी चोट प्रतिवेदन संलग्न है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के शरीर पर दो चोटें साधारण प्रकृति की पाई गई है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य से प्रथम दृष्ट्या इस प्रक्रम पर यह प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त को हत्या के अपराध के इस प्रकरण में मिथ्या तौर पर आलिप्त किया गया हो। जहां तक विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उठाये गये बचाव तर्कों का प्रश्न है, उनके संबंध में प्रकरण में विचारण के दौरान साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात् ही कोई निष्कर्ष निकाला जाना संभव होगा, साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण के

सहअभियुक्त मुख्तार कुरैशी की जमानत याचिका विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या 98/2026 दिनांक 18.02.2026 व सहअभियुक्त मोहम्मद युनूस उर्फ सोनू की जमानत याचिका विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या 122/2026 दिनांक 09.03.2026 को इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का मामला इस स्टेज पर उक्त सहअभियुक्त से भिन्न होना नहीं बताया गया है। पुलिस तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अभी अनुसंधान जारी होना बताया गया है तथा इस प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर हत्या के गंभीर अपराध का आरोप है, लिहाजा, उक्त सभी तथ्यों–परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, हम प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाते हैं।

आदेश

4. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. युसुफ मोहम्मद कुरैशी** पुत्र इशाक मोहम्मद, निवासी पड़ाव भीम, हाल निवासी धोलीघाटी भीम, पुलिस थाना भीम, जिला राजसमंद (राज.) एवं **2. मोहम्मद सोहेल** पुत्र सतार मोहम्मद कुरैशी, निवासी धोलीघाटी भीम, पुलिस थाना भीम, जिला राजसमंद (राज.) की ओर से पुलिस थाना भीम की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 39/2026 के प्रकरण में, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

आदेश आज दिनाँक **23.03.2026** को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

SOMENDRA SHARMA
Digitally signed by SOMENDRA SHARMA
Date: 2026.03.24 14:50:17 +05'30'